



Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

नवम मासिक रिपोर्ट

अक्टूबर, 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना	3
2. विभागीय कार्यकलाप	3
3. IFMS 3.0.....	4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण	10
(ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण	10
(iii)पेंशन भुगतान आदेश	11
(iv)अगस्त, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या.....	14
5. परिवेदना निवारण	15
6. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन.....	16
7. पेंशन अदालत	21

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) के माध्यम से किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :-

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियां जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्द्रीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों के भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

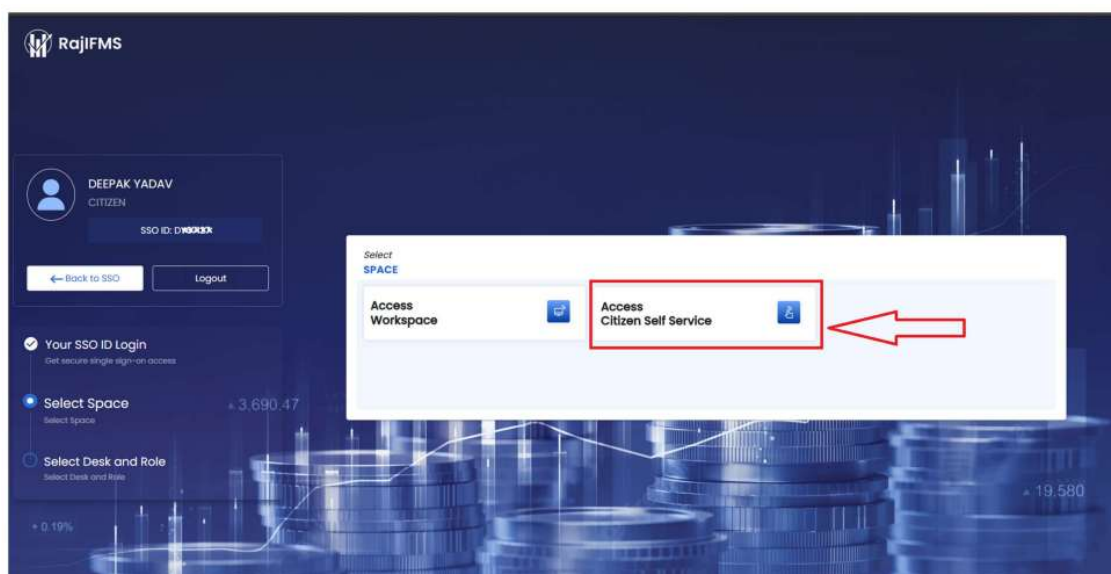
3. IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :-

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर Login कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्प्यूटेशन की अधिकृतियां ई-हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।
- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 30.09.2026 तक लगभग 139638 ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।
- दिनांक 30.09.2023 के प्रोविजनल पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्प्यूटेशन की ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी हैं।
- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।
- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।
- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजिटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिंगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

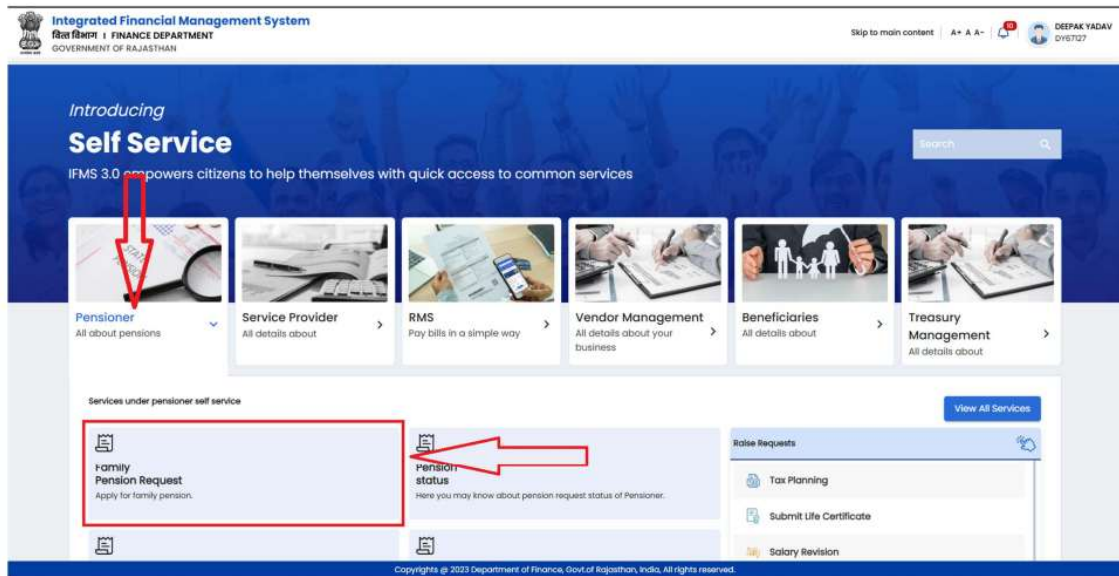
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी का सेवानिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है।
- कार्यालयाध्यक्ष (चैकर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त लेखाकर्म का प्रमाण पत्र अपलोड कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है।
- कार्यालयाध्यक्ष (अप्रूवर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन, अद्यतन एवं अपलोड किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त Aadhar Based E-Sigद कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है।
- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा एसएसओ आई के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने से लेकर पेंशन विभाग द्वारा पेंशन अधिकृतियां जारी करने की समस्त प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paperless है।
- पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु होने के स्थिति में पात्र पुत्र/पुत्री को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन के प्रकरण ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने का प्रावधान **IFMS 3.0** पर उपलब्ध है। यह प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से **Paperless** है।

पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु उपरान्त पात्र पुत्र/पुत्री को प्राप्त होने वाली पेंशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया संबंधी मॉड्यूल (Reauthorization of Pension Module)

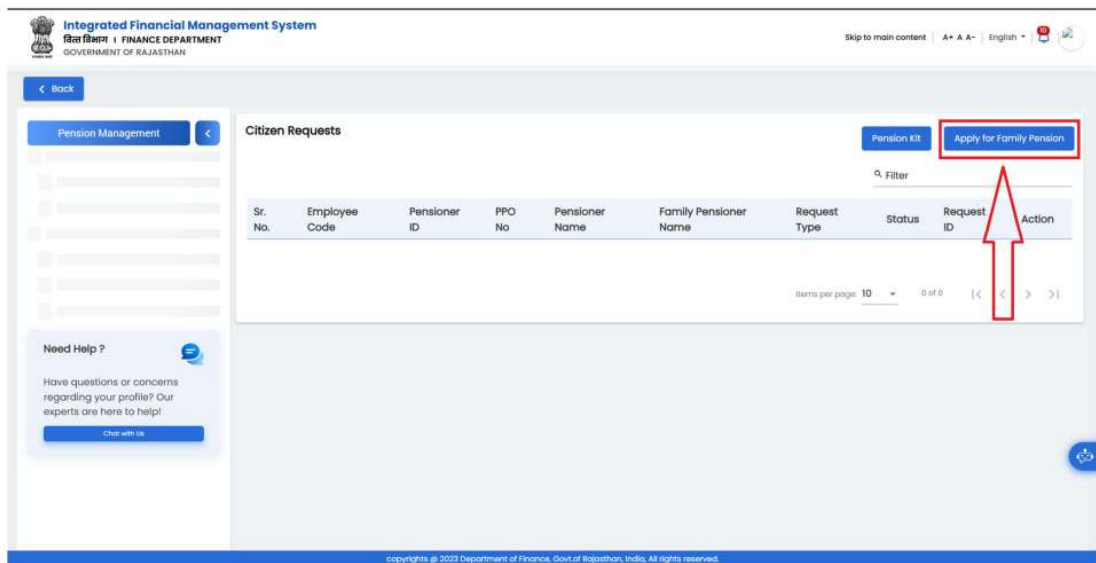
नीचे प्रदर्शित विकल्प में से "Access Citizen Self Service" विकल्प का चयन करें



"Access Citizen Self Service" विकल्प का चयन करने के पश्चात, प्रदर्शित पृष्ठ से Family Pension Request " विकल्प का चयन करें



" Family Pension Request " विकल्प का चयन करने के पश्चात, पारिवारिक पेंशन आवेदन के लिए प्रदर्शित पृष्ठ से, "Apply For Family Pension" विकल्प का चयन करें,



पात्र पुत्र/पुत्री पारिवारिक पेंशन आवेदन के लिए " Re-Authorization (After Family Pensioner Death)", विकल्प का चयन करें, अब प्रदर्शित पृष्ठ पर PPO No और Bank Account No आखिरी चार अंक (पेंशनर जिनका देहांत बाद में हुआ हो), दर्ज कर "Search" पर क्लिक करें।
नोट :- PSS Updation के अनुरोध पेंशनर के Zonal Pension Office से अग्रेषित होंगे और PSS Correction के अनुरोध पेंशनर के कार्यालय से अग्रेषित होंगे

The screenshot shows the 'Apply for Family Pension' page in the IFMS. The 'Personal Details' tab is active. Under 'Raise Family Pension Request', the 'Re-Authorization(After Family Pensioner Death)' option is selected. A red arrow points to this option. The 'Search' button is visible next to the input fields for PPO Number and Last Four Digit Account No.

"Search" पर क्लिक करने के पश्चात, PPO से संबंधित विवरण प्रदर्शित हो जाएगा, प्रदर्शित विवरण की पुष्टि करने के पश्चात, "Next" पर क्लिक करें।

The screenshot shows the 'Apply for Family Pension' page after clicking 'Search'. The page displays personal details of the pensioner, including Janadhaar Number, Pensioner Name, Gender, Date of Birth, Email Id, Mobile No, Pensioner DOD, and Date of Retirement. A red arrow points to the 'Next' button.

अब पेंशनर की स्थिति का चयन (मृत्यु/गुमशुदा), उसके पश्चात आवश्यक विवरण दर्ज कर, "Next" पर क्लिक करें।

The screenshot shows the 'Apply for Family Pension' page in the IFMS portal. The 'Personal Details' tab is selected, and the 'Family Pensioner Death Certificate' section is visible. It includes fields for 'Select Pensioner Death/Missing', 'Pensioner Death Date', and 'Death Certificate No.'. A red arrow points to the 'Next' button at the bottom right of the form.

पेंशनर की स्थिति का विवरण दर्ज करने के बाद, अब पात्र पुत्र/पुत्री आवेदन के लिए, अपना विवरण दर्ज करें, सबसे पहले जन-आधार नम्बर दर्ज कर "Search" पर क्लिक करें, उसके बाद प्रदर्शित पारिवारिक सूची से आवेदक का चयन करें, अब पारिवारिक पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करें।

The screenshot shows the 'Apply for Family Pension' page in the IFMS portal. The 'Family Pensioner Details' tab is selected, and the 'Janaadhaar User Details' section is visible. It includes a radio button for 'Is Domicile of Rajasthan?' and a text field for 'Jan Aadhar No.'. A red arrow points to the 'Search' button next to the text field. Below this, there is a section for 'Add Chalan Details' with fields for 'Chalan No.', 'GR No.', 'Chalan D.', and 'Chalan Amount', and an 'Add' button.

अब पारिवारिक पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक विवरण को दर्ज करें, विवरण दर्ज करने के पश्चात, आवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करें, आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात "Next" पर क्लिक करें।

The screenshot shows a web form for applying for a family pension. It includes fields for Applicant Photograph, Janadhaar Number, Applicant Name, Gender, Date of Birth, Marital Status, Current Address, Applicant Email ID, Applicant Mobile No., Applicant SSO ID, and Is Physically Disabled? (Yes/No). There is also a section for Mandatory Documents with upload buttons for Applicant Life Certificate, Aadhar Card, and PAN Card. A sidebar on the left contains a 'Need Help?' section with a 'Chat with Us' button. The footer indicates copyright © 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India.

बैंक अकाउंट विवरण दर्ज करने के पश्चात "Submit" पर क्लिक करें उसके बाद पारिवारिक पेंशन सफलतापूर्वक आवेदन होने का सन्देश प्रदर्शित हो जाएगा, और पात्र पुत्र/पुत्री का पारिवारिक पेंशन आवेदन HO ऑफिस (जहां से (पेंशनर) रिटायर हुए थे) के मेकर को अग्रेषित हो जाएगा।

This screenshot shows the 'Bank Details' section of the 'Apply for Family Pension' form. It includes fields for Family Pensioner Bank Details, Account No., Re-Enter Account No., PAN No., Select Bank, Select Bank Branch, and IFSC CODE. There are also upload buttons for PAN Card and Bank PassBook / Cancelled Cheque. A red arrow points to the 'Submit' button. The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot. The footer indicates copyright © 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India.

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	393926
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	219061
3.	अन्य पेंशनर्स	
i	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
ii	राजस्व मण्डल/राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष/सदस्य) के पेंशनर्स	32
iii	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	18624
iv	दिनांक 04.09.2012 की अधिसूचना के अनुसार (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	5180
v	मीसा/डीआईआर पेंशनर्स	1628
vi	अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स	794
vii	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	470
viii	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
ix	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) पेंशनर्स	21
x	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
xi	स्वतंत्रता सेनानी/टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :-

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1	60 – 69 वर्ष	393724
3	70 –75 वर्ष	110823
4	76 –80 वर्ष	55962
5	81 –85 वर्ष	33528
6	86 –90 वर्ष	14525
7	91 –95 वर्ष	3558
8	96 –100 वर्ष	645
9	100 से अधिक आयु	109

4.3 पेंशन भुगतान आदेश

- I. दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 31.08.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **12485** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **12369** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	3531	3480
2.	अजमेर	1731	1729
3.	बीकानेर	1350	1341
4.	जोधपुर	2064	2049
5.	भरतपुर	1199	1172
6.	कोटा	1084	1074
7.	उदयपुर	1526	1524
	कुल	12485	12369

- II. दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 31.08.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **1205** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **1140** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	327	281
2.	अजमेर	124	121
3.	बीकानेर	184	180
4.	जोधपुर	263	258
5.	भरतपुर	83	78
6.	कोटा	95	94
7.	उदयपुर	129	128
	कुल	1205	1140

- III. दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 31.08.2026 (गत 6 माह) तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अप्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	6861	6285	432
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	812	707	106
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	933	783	126

4.	पुलिस विभाग	871	744	119
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1017	868	88
6.	आयुर्वेद विभाग	286	171	91
7.	पशुपालन विभाग	236	183	39
8.	राजस्व विभाग	315	214	72
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	366	271	62
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	273	204	45
	कुल	11970	10430	1180

IV. दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **1313** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **1050** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	394	268
2.	अजमेर	186	167
3.	बीकानेर	145	125
4.	जोधपुर	200	182
5.	भरतपुर	106	60
6.	कोटा	84	67
7.	उदयपुर	148	181
	कुल	1313	1050

V. दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **346** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **256** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	78	25
2.	अजमेर	50	43
3.	बीकानेर	42	35
4.	जोधपुर	46	46
5.	भरतपुर	24	13
6.	कोटा	51	46
7.	उदयपुर	55	48
	कुल	346	256

VI. दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	774	495	137
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	69	40	14
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	76	41	22
4.	पुलिस विभाग	78	32	31
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	100	51	29
6.	आयुर्वेद विभाग	40	11	24
7.	पशुपालन विभाग	29	9	12
8.	राजस्व विभाग	38	15	15
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	32	6	20
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	34	10	18
	कुल	1270	700	322

4.4 अक्टूबर, 2026 से दिसम्बर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या

Department-wise Upcoming Retirement 3 Months (Oct-26 to Dec-26)					
S.No.	Department Name	Oct-2026	Nov-2026	Dec-2026	Grand Total
1.	Secondary Education Department, Bikaner	660	581	913	2154
2.	Public Health Engineering Department, Jaipur	88	74	153	315
3.	Medical and Health Services, Jaipur	81	85	113	279
4.	Police Department, Jaipur	74	58	97	229
5.	Elementry Education Department, Bikaner	42	32	41	115
6.	Ayurved Department, Ajmer	25	19	57	101
7.	Board of Revenue, Ajmer	28	30	47	105
8.	Forest Department, Jaipur	35	36	59	130
9.	Public Works Department, Jaipur	22	25	39	86
10.	Animal Husbandry Department, Jaipur	32	20	39	91
11.	Rajasthan High Court, Jodhpur	27	15	28	70
12.	College Education Department, Jaipur	26	16	31	73
13.	Sanskrit Education Department, Jaipur	6	17	17	40
14.	Agriculture Department, Jaipur	10	6	19	35
15.	Excise Department, Udaipur	10	4	19	33
16.	Integrated Child Development Services, Jaipur	13	4	14	31
17.	Water Resources Department, Jaipur	9	10	15	34
18.	S.M.S. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jaipur	9	10	16	35
19.	Medical and Health Services (Family Welfare), Jaipur	7	2	8	17
20.	Treasuries and Accounts Department, Jaipur	6	3	4	13
21.	Commercial Taxes Department, Jaipur	5	1	6	12
22.	Dr. S.N. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jodhpur	6	5	9	20
23.	Technical (Training) Education, Jodhpur	11	5	10	26
24.	Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner	1	2	19	22
25.	Technical Education Department, Jodhpur	4	5	9	18
26.	Mines and Geology Department, Udaipur	5	6	1	12
27.	Medical and Health Services (ESI), Jaipur	4	2	3	9
28.	Department of Personnel (Government Secretariat, including State	4	5	9	18
29.	Jail Department, Jaipur	3	0	5	8
30.	State Insurance and Provident Fund Department, Jaipur	5	1	4	10

5. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.09.2026 तक सम्पर्क पोर्टल एवं सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग एवं 01.10.2025 से दिनांक 30.09.2026 तक पीजीआरसी से संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं के निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्राप्त परिवेदनाएं	निस्तारित परिवेदनाएं	बकाया परिवेदना
1.	पीजीआरसी (01.10.2025 से 30.09.2026)	6373	6351	22
2.	सम्पर्क पोर्टल	4071	4071	00
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	248	248	00

दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	00	284	284	00
2.	पीजीआरसी	27	173	178	22
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	00	45	45	00

6. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67, 134 एवं फॉर्म 14 में संशोधन दिनांक 12.06.2026

**Government of Rajasthan
Finance Department
(Rules Division)**

No. F.12(2)FD/Rules/2026

Jaipur, dated: 12 JUN, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:-

- 1. Short title and commencement :-** (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with immediate effect.

- 2. Amendment of rule 67 :-** The existing condition (ii) and (iii) of proviso to rule 67 of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from -

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child,

(iii) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every three years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability."

3. Amendment of rule 134 :- In sub-rule (1) of rule 134 of the said rules,-

(i) in clause (ix), for the existing expression "; or", appearing at the end, the punctuation mark "; " shall be substituted;

(ii) in clause (x), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "; " shall be substituted; and

(iii) after the existing clause (x), so amended, the following new clause (xi) and (xii) shall be added, namely:-

"(xi) all serving government servants except class IVth employees of State Government may issue life certificate to the pensioner/family pensioner by e-signing/ authenticating through their SSO ID ; or

(xii) pensioner may submit life certificate using the face authentication technology system based on UIDAI Aadhar software."

4. Amendment of Form 14 :- In Form 14 appended to the said rules,-

(i) the existing clause 12 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"12. Attested by:

Name	Full address	Signature
.....";		

and

(ii) the existing Note shall be substituted by the following, namely:-

"Note: Attestation should be done by only one Gazetted Officer or one person of respectability in the town or village in which the applicant resides."

**By order of the Governor,
(Shivangi Swarnkar)
Special Secretary to the Government**

2. Submission of digital life Certificate of pensioners through face authentication

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (PENSION) DEPARTMENT**

F.2(2)FD/Pension/2020

JAIPUR, Dated : 15-06-2026

NOTIFICATION

Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter number 13(9)/2022-EG-II dated 28-07-2023 to the Pension and Pensioners' Welfare Department, hereinafter referred to as the said department, Government of Rajasthan, hereinafter referred to as the said Government, for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, hereinafter referred to as the Act,

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for submission of Digital Life Certificate through Face Authentication, hereinafter referred to as the said purpose, as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said department shall perform the Aadhaar authentication only for submission of Digital Life Certificate, hereinafter referred to as the use case;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the State Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The said department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.
- (2) As per provisions of sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the

Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to undergo Aadhaar authentication, namely: -

- (a) Submission of Life Certificate through SSO ID, of officer of the State Service or employee of subordinate or ministerial service;
 - (b) The pensioner can submit his/her life certificate by personally appearing at the Treasury/Pension Department;
 - (c) Submission of Life Certificate through Jeevan Pramaan by e-Mitra.
2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Governor,

(Shivangi Swarnkar)
Special Secretary to the Government

3. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में अग्रेषित करने से पूर्व नीचे दिये गये सामान्य आक्षेपों/कमियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए :-

1. सेवानिवृत्ति आदेश एवं निर्धारित प्रारूप 6 में विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी करवाना।
2. अंतिम वेतन, समय-समय पर किये गये वेतन निर्धारणों की जाँच एवं पेंशन योग्य सेवा के संबंध में लेखाकर्म का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे। लेखाकर्म प्रमाण पत्र क्रमांक, दिनांक एवं हस्ताक्षर सहित अथवा राजकाज के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस है, अतः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस का वेतन देय नहीं है, पेंशन देय है। तदनुसार अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर संलग्न किया जावे।
4. व्यक्तिगत नामावली के तथ्य एवं फोटो कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित कर भिजवायें। (प्रमाणन के हस्ताक्षर एवं सील आधे फोटो पर एवं आधे कागज पर होने चाहिये)।
5. पेंशन रुपान्तरण हेतु आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति तिथि से एक वर्ष बाद करने पर जो फार्म नं. 2 (चिकित्सा के आधार पर) प्राप्त कर पार्ट-3 की पूर्ति के पश्चात भिजवायें।
6. सेवानिवृत्ति आदेश एवं पेंशन कुलक में अंकित पेंशनर के नाम में अन्तर होने पर स्थिति स्पष्ट करावे एवं आवश्यक संशोधनों व दस्तावेजों सहित प्रकरण भिजवायें।
7. राज्य सरकार से JOINING 2004 के पश्चात NPS के प्रकरणों में SIPF ORDER DATE 27.01.2025 की पालना कर भिजवायें। राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के प्रमाण पत्र सहित चालान की प्रति संलग्न करें।
8. माननीय न्यायालयों के निर्णय/आदेशों की पालना 1.सक्षम स्वीकृति. 2. प्रशासनिक स्वीकृति. 3. NO अपील नहीं करने का निर्णय संलग्न करें।

9. विकलांग आश्रित पुत्र/पुत्री के पेंशन प्रकरण : 1. आय प्रमाण पत्र. 2. माता-पिता की मृत्यु से पूर्व विकलांग होने का प्रमाण पत्र।
10. Provisional Pension case (1) प्रपत्र 33, लेखाकर्मि प्रमाण पत्र. (2) प्रपत्र 33 पार्ट 3 नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर. (3) सेवानिवृत्ति आदेश (4) यदि प्रोविजनल पेंशन नियम 86 के अन्तर्गत है, तो विभागीय जांच/न्यायिक जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रारूप 6 में, यदि प्रोविजनल पेंशन नियम 90 के अन्तर्गत है, तो विभागीय जांच/न्यायिक प्रक्रिया का विवरण प्रपत्र 6 में।
11. चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सक, शिक्षकों के प्रकरणों में NPA/NCA का सेवानिवृत्ति से पूर्व के 2 वर्षों का विवरण।
12. Revision case 1. 01.09.2006 व 01.01.2006 के अलग – अलग लेखाकर्मि प्रमाण पत्र. 2. वेतन स्थिरीकरण आदेश. 3. LPC
13. 04.09.2012 के प्रकरणों में आश्रित होने का प्रमाण पत्र (साक्ष्य) एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना।
14. Notional Increment Case : 1. Accounts Personnel's certificate लेखाकर्मि का प्रमाण पत्र 2. विभागीय वेतन वृद्धि आदेश।
15. समायोजन संबंधित प्रकरणों में समायोजन आदेशों की प्रति, पूर्व विभाग में नियमित नियुक्ति आदेशों की प्रति, वर्कचार्ज कर्मि की अर्द्धस्थायी दिनांक, SIPF विभाग द्वारा जारी T.E., चालान की प्रति, नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति इत्यादि।
16. पेंशनर यदि वर्कचार्ज सेवा में रहा है, वर्कचार्ज सेवाकाल में वह सी.पी.एफ का सदस्य था। अतः नियोक्ता का सी.पी.एफ. का अंशदान मय ब्याज के राजकीय कोष में जमा होने की हस्तान्तरण प्रविष्टि (टी.ई.) बीमा विभाग से प्राप्त कर संलग्न कर भिजवायें।
17. वर्कचार्ज संबंधित आदेशों की प्रति, वर्णनात्मक नामावली अपूर्ण होना, कार्मिक का CPF/EPF का सदस्य होने का पूर्ण विवरण, CPF/EPF कटौती की दिनांक स्पष्ट अंकित करनी आवश्यक है।
18. CPF कटौती प्रमाण पत्र एवं कटौती दिनांक कुलक एवं प्रमाण पत्र में अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। भिन्नता
19. वर्क चार्ज कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक अर्द्धस्थायी दिनांक के अनुसार मानकर प्रकरण न भिजवाये जावें।
20. RVRES के पेंशन प्रकरणों में राज्य सरकार में कार्यग्रहण करने एवं सेवा अवधि का स्पष्ट उल्लेख करना तथा अनुदानित संस्था से प्राप्त उपादान राशि के भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न करावें।
21. अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
22. पारिवारिक पेंशन के प्रकरण में उपादान (डी.सी.आर.जी) हेतु मनोनयन पत्र संलग्न करना, यदि मनोनयन नहीं किया गया हो तो परिवार के समस्त सदस्यों की वर्णात्मक नामावली तीन – तीन प्रतियों में फोटो सहित प्रमाणित कर प्रस्तुत करना।
23. सेवानिवृत्त होने वाला कार्मिक यदि सरकारी आवास में रह रहा है, तो सम्पदा विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग का No Demand Certificate संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा फॉर्म 27 ए (सरकारी आवास नहीं होने का प्रमाण) संलग्न करना।
24. विभागीय अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना।
25. असाधारण अवकाश का विवरण अंकित करना।
26. स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों में नियुक्ति अवधि (01 जनवरी से 30 जून) मध्य सत्र होने के कारण या निरन्तर सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र या नियुक्ति पत्र संलग्न करना।

7. द्वितीय पेंशन अदालत दिनांक 23.09.2026 (बुधवार)

वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2026 की पालना में दिनांक 23.09.2026 (बुधवार) को तीन विभागों क्रमशः पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेंशन अदालत प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक आयोजित की गई।

पुलिस विभाग :-

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन एवं वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में पुलिस विभाग से संबंधित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी कराने में आ रही समस्याओं एवं पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक 23.09.2026 को पुलिस विभाग के विभागाध्यक्ष स्तर पुलिस मुख्यालय, जयपुर में पर पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष स्तर पर आयोजित की गई पुलिस विभाग से संबंधित पेंशन अदालत का निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा संचालन किया गया :-

महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस विभाग	सदस्य
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान	सदस्य

दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति में बकाया पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2026 को आयोजित पेंशन अदालत तक पुलिस विभाग द्वारा initiate नहीं किए गए 272 पेंशन प्रकरणों में से 222 पेंशन प्रकरण initiate करवाकर पेंशन अधिकृतियों जारी करवायी गयी। शेष 50 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण आगामी एक माह में किये जाने की कार्यवाई करने का निर्णय लिया गया।

सेवानिवृत्त होने वाले 22 कार्मिकों को मुख्य सचिव महोदय द्वारा पेंशन अदालत के दौरान पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सुपुर्द किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन एवं वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी कराने में आ रही समस्याओं एवं पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक 23.09.2026 (बुधवार) को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष स्तर पर आयोजित की गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पेंशन अदालत का निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा संचालन किया गया :-

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

दिनांक 31.07.2026 की स्थिति में बकाया पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2026 को आयोजित पेंशन अदालत तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा initiate नहीं किए गए 486 पेंशन प्रकरणों में से 356 पेंशन प्रकरण initiate करवाकर पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। शेष 130 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण आगामी एक माह में किये जाने की कार्रवाई की करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में आयोजित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पेंशन अदालत में पेंशन विभाग की टीम द्वारा पेंशन अदालत के दौरान मौके पर ही 2 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किये गये इनको सम्मिलित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले 13 कार्मिकों को मुख्य सचिव महोदय द्वारा पेंशन अदालत के दौरान पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सुपुर्द किये गये।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग :-

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन एवं वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी कराने में आ रही समस्याओं एवं पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक 23.09.2026 (बुधवार) को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष स्तर पर आयोजित की गई जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित पेंशन अदालत का निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा संचालन किया गया :-

मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

दिनांक 31.07.2026 की स्थिति में बकाया पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2026 को आयोजित पेंशन अदालत तक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा initiate नहीं किए गए 378 पेंशन प्रकरणों में से 356 पेंशन प्रकरण initiate करवाकर पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। शेष 121 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण आगामी एक माह में किये जाने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले 26 कार्मिकों को श्री हेमन्त कुमार गेरा, प्रमुख शासन, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पेंशन अदालत के दौरान पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सुपुर्द किये गये।



पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj@nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in